समाहरणालय, मधेपुरा।
(आपदा प्रबंधन शाखा)
:– आदेश :–

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 05/आ0प्र0, दिनांक 25.04.2015 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत –उपमुख्य शीर्ष 80– सामान्य लघु शीर्ष–102– विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश,आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध , उपशीर्ष –0006 अन्य प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन मद में विपत्र कोड एन0 – 2245801020006 मद में मो0 – 15,000/– (पंद्रह हजार) रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को संबंधित अंचल अधिकारियों मधेपुरा जिला को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नाकिंत शर्त्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है :–

क्र0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	10,000.00	10,000.00
2	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	5,000.00	5,000.00
	कुल योग :–	**15000.00**	**15000.00**

(मो0 15000/– (पंद्रह हजार) रू0 मात्र)

उपावंटन की शर्तें :–

(1) यह आवंटन दिनांक 21.04.15 को आये चक्रवाती तुफान के मद्देनजर प्राकृतिक आपदा राहत से संबंधित फोटो ग्राफी / विडियोग्राफी एवं आकस्मिकता मद में व्यय हेतु निर्गत किया जा रहा है ।

(2) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

(3) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य बजट शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत – उपमुख्य शीर्ष 80– सामान्य ,लघु शीर्ष–102– विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश,आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध , उपशीर्ष –0006 अन्य प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन मद में विपत्र कोड एन0 – 2245801020006 मांग संख्या –39 युनिट कोड 28 01 व्यवसायिक और विशेष सेवाऐं मद में विधान मंडल से पारित बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम ,2015 द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(4) संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

(5)उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है । किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवारी होगें।

(6) उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होगें।

(7) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होगें। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

(8) उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully vouched bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय अग्रीम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहारं वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 124 आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 26-04-2015/

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्ता , मधेपुरा / सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेंतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा/ विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ प्रेषित। ।

प्रतिलिपि :– **DIO**, मधेपुरा को जिले के **Website** पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

26/04/15

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।